# न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः— 02 / 2025

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| रसूल खां पुत्र ताजू खां, जाति सिन्धी मुसलमान, निवासी आऊ, तहसील आऊ, जिला फलौदी | | 1. पूनाराम पुत्र कोशलाराम, जाति मेघवाल, निवासी आऊ, तहसील आऊ, जिला फलौदी<br>2. ग्राम पंचायत आऊ जरिये सरपंच / प्रशासक<br>3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत आऊ |

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश सरपंच ग्राम पंचायत आऊ पट्टा संख्या 7 मिसल संख्या 6 / 1998—99 दिनांक 14.01.1999**

**उपस्थित वकील —:**

अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री भंवरलाल जोशी।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 की ओर सेः— अधिवक्ता श्री कृपाल सिंह ।

**निर्णय** दिनांकः— 23/09/25

1. निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 प्रार्थी रसूल खान पुत्र ताजू खान, निवासी आऊ की ओर से अप्रार्थीगण संख्या 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत आऊ पट्टा संख्या 7, मिसल संख्या 6 / 1998—99 दिनांक 14.01.1999 के विरूद्व पेश की है।

2. अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम आऊ में पट्टा सुदा, कब्जासुदा भूखण्ड आया हुआ है, जो नागौर रोड़ के पूर्व की तरफ व नोखड़ा पातावता ग्रेवल सड़क के दक्षिण की तरफ स्थित है। जिसमें पत्थर की पट्टीयां चारो तरफ लगाई हुई है। उक्त भूखण्ड का पट्टा प्रार्थी के नाम से ग्राम पंचायत आउ से आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 16.12.2004 को जारी होया हुआ है। जिसका पट्टा रजिस्टर संख्या 05 है एवं पट्टा संख्या 90 ए, मिसल संख्या 163ए / 2004—05 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत नियम 167 (1) के अनुसरण में प्रारूप 23 में पंचायत संकल्प संख्या 6 दिनांक 20.11.2004 को प्रार्थी के नाम से प्रतिफल की राशि 1000 / — रूपये लेकर आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी किया गया था। उक्त भूखण्ड की माप 4750 वर्गफुट है। जिसके पड़ौस उत्तर में नोखड़ा पातावता ग्रेवल सडक, दक्षिण में खाली जमीन, पूर्व में रास्ता, पश्चिम में नागौर सडक चलती है। उपरोक्त माप व पड़ौस के भूखण्ड पर तत्कालीन ग्राम सेवक द्वारा मौके पर पैमाइश करके कार्नर भरवा दिए गये थे एवं ग्राम पंचायत आउ द्वारा प्रार्थी को दिनांक 20.02.2014 को भवन निर्माण की इजाजत देने पर प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड के चारो तरफ पत्थर के खुटे रोप कर निर्माण सामग्री डलवा दी गई थी। दिनांक 25.03.2025

जिला कलक्टर
फलौदी

को प्रार्थी को सूचना मिली कि अप्रार्थी संख्या 01 अपने परिवार के साथ उक्त भूखण्ड अतिक्रमण कर रहे ह। तब प्रार्थी ने मौके पर पुलिस बुलाकर शांति व्यवस्था की। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व उसके परिवार के विरूद्व माननीय सिविल न्यायालय में वाद पत्र पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा तथाकथित पट्टा संख्या 7 मिसल संख्या 6/1998–99 दिनांक 14.01.1999 का पेश किया, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत पट्टे की नकल के लिए ग्राम पंचायत आउ में प्रार्थना पत्र पेश किया, ग्राम पंचायत आउ द्वारा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कोई पट्टा या मिसल पंचायत रेकर्ड में नही होने का लिखित में जबाब दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 क्षरा प्रस्तुत पट्टा फर्जी व कुटरचित बनाकर पेश किया गया है। जो निरस्त करवाने हेतु निगरानी याचिका आपके क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थी ने न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री भंवरलाल जोशी के द्वारा अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत पेश की गई जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को भेजे गये सम्मन की डाक रसीदे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री कृपाल सिंह ने वकालातनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत आऊ से मूल रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी आऊ से ग्राम पंचायत में पट्टे से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया गया। ग्राम विकास अधिकारी ने जरिये पत्र बताया कि पट्टा संख्या 7, मिसल संख्या 6/1998–99 दिनांक 14.01.1999 को ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में किसी प्रकार का पट्टा अप्रार्थी के नाम से जारी करने के दस्तावेज ग्राम पंचायत रेकड़ में उपलब्ध नहीं है। उक्त पट्टा मनगढ़त दस्तादेज से ग्राम पंचायत आऊ में तहसील सड़क और नागौर फलौदी रोड की सड़क सीमा में अतिक्रमण किया गया है। तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी का ग्राम आऊ में पट्टा सुदा कब्जा सूद भूखण्ड आया हुआ है। जो नागौर रोड़ के पूर्व की तरफ व नोखड़ा पातवता ग्रेवल सड़क के दक्षिण की तरफ स्थित है। जिसमें पत्थर की पट्टीयां चारो तरफ लगाई हुई है। उक्त भूखण्ड का पट्टा प्रार्थी के नाम सें ग्राम पंचायत आऊ से आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 16.12.2004 को जारी किया गया है। जिसका पट्टा रजिस्टर संख्या 05 है। पट्टा सख्या 90ए, मिसल संख्या 163ए/2004–05 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत नियम 167(1) के अनुसरण में प्रारूप 23 में पंचायत संकल्प संख्या 6 दिनांक 20.11.2004 को अप्रार्थी संख्या 03 के नाम से प्रतिफल की राशि 1000/– रूपये लेकर आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी किया गया था। उक्त भूखण्ड की ग्राम पंचायत आऊ द्वारा प्रार्थी को दिनांक 20.02.2014 को भवन निर्माण की इजाजत देने पर प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड के चारो तरफ पत्थर के खुटे रोप कर निर्माण सामग्री डलवा दी गई थी। ग्राम पंचायत आऊ द्वारा दिनांक 28.03.2025 को प्रार्थी/निगरानीकर्ता को उसके नाम से जारी पट्टे से जारी पट्टे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई गई थी। दिनांक 25.03.2025 को प्रार्थी को सूचना मिली की उसके पट्टासुद भूखण्ड पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे है, तब

जिला कलक्टर
फलौदी

प्रार्थी ने मौके पर आकर अप्रार्थी संख्या 01 व उसके परिवार के लोगो को विधि विरूद्व कार्य करने से रोका गया, लेकिन अप्रार्थी व उसके परिवार के लोग नहीं माने, प्रार्थी व उसके परिवार के लोगो ने अप्रार्थी संख्या 01 के भूखण्ड की पट्टीयां निकालकर उसमें झुंपानुमा छपरा ट्रेक्टर पर लाकर रख दिया गया, प्रार्थी द्वारा मना करने पर अप्रार्थी संख्या 01 व उसके परिवार के लोगों द्वारा प्रार्थी से लड़ाई, झगड़ा करने लग गये, तब प्रार्थी ने पुलिस थाना भोजासर में रिपोर्ट कर मौके पर पुलिस बुलाकर शांति व्यवस्था की गई। प्रार्थी द्वारा पिछले 20 वर्षो से भी अधिक समय से वादग्रस्त भूखण्ड को पट्टीयों से घेरा हुआ है एवं उसमें निर्माण सामग्री डाली हुइं है। अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त भूखण्ड को कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा कूटरचित एवं फर्जी पट्टे के आधार पर वादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व उसके परिवार के विरूद्व सिविल न्यायालय फलौदी में वाद पत्र पेश करने पर प्रार्थी के द्वारा तथाकथित पट्टा संख्या 07 मिसल संख्या 6/19989–99 दिनांक 14.01.1999 का पेश किया, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत पट्टे की नकल के लिए ग्राम पंचायत आऊ में प्रार्थना पत्र पेश किया, ग्राम पंचायत आऊ द्वारा प्रार्थी संख्या 01 के नाम से कोई पट्टा या मिसल पंचायत रेकर्ड में नहीं होने का लिखित में दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से बना हुआ पट्टा संख्या 7, मिसल संख्या 6/1998–99 दिनांक 14.01.1999 एक फर्जी एवं कूटरचित पट्टा है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा भी बताया गया है कि पट्टा संख्या 7 ग्राम पंचायत आउ की आबादी भूमि में राणाराम पिता खेताराम जाति कुम्हार के नाम से जारी किया गया है। मिसल संख्या 06 ग्राम पंचायत आबादी भूमि में मनोहर सिंह, गजेन्द्रसिंह , गिरधारी पुत्र धन्नेसिंह के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 का पट्टा संख्या 7, मिसल संख्या 6/1998–99 दिनांक 14.01.1999 कुटरिचत एवं फर्जी, तथाकथित होने से खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि मौके पर अप्रार्थी द्वारा कच्चा मकान बनाकर रहवास किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड आबादी भूमि में एवं मौके का होने के कारण प्रार्थी कब्जा करना चाह रहा है। मात्र हैरान , परेशान करने के लिए न्यायालय में निगरानी गलत आधारों पर पेश की है। सिविल न्यायालय के द्वारा मौका निरीक्षण की कमीश्नर रिपोर्ट के आधार पर भी यह सिद्व होता हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 का मौके पर अष्ठकोणीय झोपड़ा बना हुआ है एवं अप्रार्थी संख्या 01 कच्चा छपरा बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। इसलिए प्रार्थी के द्वारा पट्टे की निगरानी की गलत आधारों पर होने से खारिज फरमाई जावे।

6. उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस एवं दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव ग्राम विकास अधिकारी आऊ से प्राप्त मूल रिकार्ड के सम्बन्धित पत्र का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्को पर विचार मनन किया गया।

7. उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टे का रिकार्ड ग्राम पंचायत में नहीं होना पट्टा का संदिग्ध एवं कूटरचित होना प्रतीत होता है।

जिला कलक्टर
फलौदी

8. अतः उक्तानुसार प्रकरण पंचायत समिति विकास अधिकारी आऊ को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति आऊ निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 7, मिसल संख्या 6/1998–99 के संबध में तथ्यों की जांच एवं तथ्यों का परीक्षण इस आशय से करे कि उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किया गया है या नहीं। यदि उक्त पट्टा अप्रमाणित एवं कूटरचित पाया जाता है या बनावटी है तो इसको खारिज किये जाने के लिए विधिक कार्यवाही आगामी 3 माह में किया जाना सुनिश्चित करें। प्रश्नगत पट्टा संख्या 7, मिसल संख्या 6/1998–99 ग्राम पंचायत आऊ द्वारा जारी दिनांक 14.01.1999 की प्रभावशीलता न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक शून्य मानी जावे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 23/09/25 सरेइजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
फलौदी

श्वेता चौहान
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर फलौदी